...वली व उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार उदयपुरवाटी से ...क 02.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए से बी तक ग्राम मैनपुरा के भूमि खसरा नम्बर 38 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 38 में आवामगन के लए चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद नहीं है, लेकिन प्रार्थी कजोड़ द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते में अप्रार्थीगण के मकानात एवं टिनसेड बना हुआ है। पत्रावली पर मौजूद ग्राम पंचायत मैनपुरा की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 4 का अवलोकन करने पर पाते है कि भूमि खसरा नम्बर 38 में पूंव में रास्ता मौजूद था, जिसे खुलवाने/कटाणशुदा करवाने के लिए प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत मैनपुरा द्वारा पारीत किया गया। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी कजोड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

15.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 18:02:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner